न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 159/2011

सायला :- बनाम गैरसायलान :-

1. नैनीदेवी पत्नी शंकरलाल पुत्री गणेश, जाति-सरगरा, निवासी-लितरिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. नारायणदास उर्फ साबु पुत्र गणेश, जाति-सरगरा, निवासी-राणीवाल, तहसील-जैतारण, हाल मुकाम-चांग गेट, ब्यावर (अजमेर)
2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू: 12/09/2011

उपस्थितः. 1. श्री सुनिल प्रजापत, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 29/05/2015**

वकील मय सायला ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-निम्बोल, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण में सायला की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 311 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, कुल रकबा 9 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई है। उक्त कृषि भूमि सायला व गै0सा0 संख्या एक की शामलाती पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि हैं, जिसे विभाजित आराजी से सम्बन्धित किया जायेगा। सायल व गै0सा0 के पिता गणेश के जीवन काल में तीन संताने हुई थी। जिसकी वंशावली अनुसार मूल पुरूष गणेश के वारिसान पुत्री नैनादेवी एवं पुत्रगण नारायणदास, सुगनलाल (नाऔलाद फौत) हुए। उक्त वंशावली के अनुसार सायला के पिता गणेश की जायन्दा संतान में सायला व गै0सा0 ही जीवित हैं तथा गणेश की खातेदारी की कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा दोनो पक्षकारान अपने अपने हिस्से माफिक काबिज हैं व सायला के पिता का देहान्त हुए 8 वर्ष पूर्व हो जाने के पश्चात सायला व गै0सा0 दोनों अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिल होकर काश्त करते हैं। परन्तु सायला का बंटवाडा नहीं हो रखा हैं तथा न ही उक्त आराजी में सायला के पिता की मृत्यु के पश्चात फौतदगी म्यूटेशन भरा गया हैं। वर्तमान में भी उक्त आराजी सायला के पिता गणेश के नाम दर्ज हैं। नकल जमाबंदी की साथ पेश की जा रही हैं। गै0सा0 नारायणदास सायल का भाई हैं तथा उसकी नीयत में फर्क आ चुका हैं। इस कारण से सायल को दिनांक 08/09/2011 को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त विवादित आराजी का एम मात्र मालिक गै0सा0 नारायणदास ही हैं तथा अपने पिता गणेश की सम्पूर्ण जमीन व सायला के हिस्से को अपने नाम दर्ज करवा कर उक्त विवादित आराजी का बेचान कर देगा तथा सायल को जबरन पैतृक कृषि भूमि में बेदखल कर देगा। जिसका गै0सा0 को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। सायला का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

एक मात्र आय का स्त्रोत उक्त कृषि भूमि हैं। गै0सा0 को जबरन बेदखल कर देता हैं, तो सायल अपने कानूनी जायज हक हकूकों से वंचित रह जायेगा। सायला अपने कानूनी पैतृक सम्पति अधिकारो के रक्षा के लिये वह बंट्वाडा के लिये उक्त वाद-पत्र श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत कर रही हैं। सायला को विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर देता हैं, तो वह कृषि भूमि का बेचान कर देता हैं, तो सायला का असीम क्षति होगी, जिससे गै0सा0 को रोका जाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं। यह प्रार्थना पत्र गै0सा0 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा हैं। गै0सा0 संख्या दो उप पंजीयन अधिकारी जो उक्त कृषि भूमि का बेचान पंजीयन नहीं किया जावें व गै0सा0 संख्या दो को पक्षकार बनाया गया हैं। गै0सा0 संख्या 02 व लोक सेवक हैं। इनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण वह नोटिस देने की अवधि तक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मकसद ही खत्म हो जायेगा। इस कारण न्यायालय की अनुमति से धारा 80(2) सीपीसी के तहत बिना नोटिस दिये ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। दस्तावेजात मौके पर कब्जे से सायला के पक्ष में बहुत ही मजबूत मामला हैं व सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष में साबित हैं।

सायला का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-निम्बोल में पेश हुई। गै0सा0 संख्या 1 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12/09/11 को जारी की गई हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-निम्बोल, पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील-जैतारण में सायला की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 241 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 311 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, कुल रकबा 9 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को पाबन्द किया गया था। जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द होने से न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12/09/2011 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 29/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-निम्बोल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner